न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

(1) प्रा0पत्र स्थगन सं0 156/2019

विजय कुमार विजगयर्गीय पुत्र श्री जवाहरदास विजयवर्गीय जाति महाजन निवासी जयपुर
.. प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा।

...अप्रार्थी

(प्रा0पत्र स्थगन)

(2) प्रा0पत्र स्थगन सं0 155/2019

विजय कुमार विजगयर्गीय पुत्र श्री जवाहरदास विजयवर्गीय जाति महाजन निवासी जयपुर
.. प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा।

...अप्रार्थी

(प्रा0पत्र स्थगन)

उपस्थित : 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री नवलकिशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 17.11.2021

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। उक्त दोनों प्रकरणों में समान तथ्य होने एवं एक ही विषयवस्तु होने के कारण दोनो प्रकरणों की एक साथ बहस सुनी गई। स्थगन प्रा0पत्रो का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अपील के साथ यह स्थगन प्रा0पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार दौसा के आदेश दिनांक 28.6.2019 प्रकरण संख्या 03/2019 एवं 4/2019 सरकार बनाम विजय कुमार में गैर सायल को ग्राम जीरोता कला के खसरा नंबर 650 रकबा 0.19है0 किस्म नहरी (चरागाह) एवं खसरा नंबर 16 रकबा 1.85है0 में से 1.05है. भूमि पर संवत 2076 में दीवार बनाकर एवं पक्का निर्माण सडक बनाकर कब्जा करने का दोषी मानते हुए उक्त आराजी से बेदखल करने, लगान के 50 गुणा शास्ति कायम करने एवं अतिचारित रकबे से अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये थे। उक्त दोनों आदेश दिनांक 28.6.2019 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा उक्त आदेशों की पालना व कियान्विति अपील के निर्णय तक स्थगित करने हेतु यह दोनों स्थगन प्रा0पत्र पेश किये गये है। इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार दौसा के उक्त आदेशों की कियान्विति आगामी तारीख पेशी तक स्थगित करने के अंतरिम आदेश जारी किये गये थे।

दोनों स्थगन प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किये गये। अप्रार्थी को तलब किया गया। उक्त दोनो प्रकरणों में समान तथ्य होने एवं एक ही विषयवस्तु होने के कारण दोनो प्रकरणों की एक साथ बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष द्वारा स्थगन प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को कोई सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया। केवल पटवारी हल्का की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। यदि निर्णय की पालना में प्रार्थी को सिविल जेल भेज दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का मतलब ही समाप्त हो जायेगा। अतः कानूनन अपील के निर्णय तक निर्णय जेर अपील दिनांक 28.6.2019 की पालना व कियान्विति को स्थगित रखी जावे।

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम जीरोता_कला के खसरा नंबर 650 रकबा 0.19है0 किस्म नहरी (चरागाह) एवं खसरा नंबर 16 रकबा 1.85है0 में से 1.05है. भूमि पर संवत 2076 में दीवार बनाकर एवं पक्का निर्माण सडक बनाकर कब्जा करने पर प्रार्थी को तहसीलदार दौसा द्वारा बेदखली, लगान का 50 गुणा शास्ति एवं अतिकमित रकबे को अतिकमण से मुक्त कराने के आदेश पारित किये गये थे। अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन गलत है कि प्रार्थी को न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा सिविल कारवास की सजा से दंडित किया गया है। श्रीमान के न्यायालय द्वारा दिनांक 31.7.2019 के द्वारा तहसीलदार दौसा के आदेश दिनांक 28.6.2019 की कियान्विति को स्थगित किया गया है। चूंकि भूमि सरकारी है। अतः जनहित को देखते हुए उक्त स्थगन आदेशों को अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व मूल अपील में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा दिये गये तर्को से हम सहमत हैं। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 31.7.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। फलतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रा0पत्र स्थगन खारिज किये जाते है। निर्णय दोनों पत्रावलियों में शामिल किये जावें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार दौसा को प्रेषित हो। ये पत्रावलियां फैसल शुमार होकर मूल अपील पत्रावली के संलग्न रहे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17 नवंबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा